न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 40/2021 GCMS No.–2021/61

1. लालचन्द पुत्र स्व0 ज्ञाना, जाति मीणा, निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. कल्याण पुत्र स्व0 ज्ञाना,
3. छोटूराम पुत्र स्व0 ज्ञाना,
4. मांगीलाल पुत्र स्व0 ज्ञाना,
5. श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नि स्व0 मन्नालाल (पुत्रवधु स्व0 ज्ञाना)
6. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मन्नालाल (पौत्र स्व0 ज्ञाना),
7. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 मन्नालाल (पौत्र स्व0 ज्ञाना),

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान हाल निवासी ग्राम दादनपुरा डूंगरी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

8. रामूलाल पुत्र स्व. छीतर,
9. हनुमान पुत्र स्व. छीतर,
10. नरेश पुत्र स्व. छीतर,
11. श्रीमति रामा पत्नि स्व0 कैलाश,
12. कजोड पुत्र स्व0 कैलाश,
13. बाबूलाल पुत्र स्व0 बिरदा,
14. जितेश मीणा पुत्र स्व. चन्दा उर्फ रामचन्द्र,
15. विकास मीणा पुत्र स्व0 चन्दा उर्फ रामचन्द्र,
16. श्रीमति सोनी देवी पत्नि स्व0 चन्दा उर्फ रामचन्द्र,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान हाल निवासी ग्राम दादनपुरा डूंगरी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
2 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जोन–4, जरिये उपायुक्त कार्यालय जे.एल.एन. मार्ग, बिडला मन्दिर के पास, जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम 1956 आदेश विरूद्व तहसीलदार सांगानेर नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 30.01.2020 ग्राम सवाईगेटोर

———————

उपस्थितः–
1. श्री कालूराम मीणा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री अब्दुल हनीफ खान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट 2 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.09.2022

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 30.01.2020 जिससे नामान्तरकरण संख्या 386 वाके ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट नं 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.08.2021 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री

प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हनीफ खान उपस्थित आये। तहसीलदार सांगानेर से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पा0 द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत होने पर पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार राजस्व ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, की सीमा में साबिक 131, 132, 140 व 141 स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा है। अपीलांट्स अपने बुजुर्गान के समय से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को इस तथ्य की पुख्ता जानकारी रही है कि प्राधिकृत अधिकारी जोन–4, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 02.09.2012 पारित करके अपीलांट्स की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि सहित ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर के विभिन्न खसरा नंबरान की भूमि का अकृषि उपयोग होने के आधार पर खातेदारों की खातेदारी अधिकारी समाप्त किये जाकर भूमि को राज्य हित में पुर्नग्रहण करने के आदेश प्रदान कर दिये। जिसके विरूद्ध न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील संख्या 122/2014 बउनवानी मन्नालाल बनाम जेडीए जयपुर वगै0 दायर की गई थी। उक्त अपील में माननीय सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 18.12.2009 पारित फरमा कर उक्त अपील स्वीकार करते हुए प्राधिकृत अधिकारी जोन 4 जेडीए का आदेश दिनांक 02.09.2012 को निरस्त फरमा दिया गया था और निर्देशो के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था और न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2009 के विरूद्ध हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर व श्री सरस्वती नगर विकास समिति लिमिटेड, जयपुर व श्री सरस्वती नगर विकास समिति की ओर से न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 406/2010 बउनवानी हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति वगैरह बनाम मन्ना लाल वगैरह दायर की गई थी परन्तु चूंकि उक्त वर्णित दोनो गृह निर्माण सहकारी समितियों का उक्त वर्णित भूमि मे कोई हित व अधिकार निहित नहीं थे इसलिये उक्त वर्णित दोनो गृह निर्माण समितियों के प्रतिनिधियों ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर उक्त निगरानी याचिका को दिनांक 27.09.2012 को जरिये विड्रो वापिस ले लिया था। तदुपरान्त न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2009 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 659/2013 बउनवानी श्रीमती रूकमणी देवी बनाम मन्ना लाल वगैरह दायर की गई थी। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी याचिका में निर्णय दिनांक 07.10.2019 पारित फरमा कर उक्त निगरानी निगरानी स्वीकार की गई और सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2009 को निरस्त कर दिया गया। राजस्व मण्डल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

राज. के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट संख्या 2426/20 बउनवानी गोविन्दी बनाम रूकमणी वगैरह विचाराधीन है। तहसीलदार सांगानेर ने अपीलांट्स को सुनवाई हेतु नोटिस दिये बिना, सूचित किये बिना, मौके पर कब्जे की जांच किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि रेस्पा0 संख्या 2 के नाम कर दी, जो उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय की पालना में विवादित नामान्तकरण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर सहायक तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 30.01.2020 को निरस्त फरमाया जावें। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जोन–4 जेडीए के आदेश के आधार पर भरा जाकर रेस्पा संख्या 2 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलाधीन भूमि के अकृषि उपयोग होने के आधार पर खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर नियमानुसार अपने आदेश दिनांक 02.09.2012 को अपीलाधीन भूमि को राज्य हित में पुर्नग्रहण करने के आदेश प्रदान किये। उक्त भूमि की 90बी के आदेश की अपील की मन्नालाल वगै. द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय के की गई एवं माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने 90बी का आदेश निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी पेश की गयी एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय का आदेश खारिज कर दिया। जिससे पूर्व में प्राधिकृत अधिकारी जोन 4 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का आदेश बहाल हो जाता है। जिसके संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण ने पत्रांक 2420 दिनांक 28.11.2019 को तहसीलदार को नामांतकरण खोले जाने हेतु प्रेषित किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सांगानेर ने नियमानुसार आदेश पारित कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राधिकृत अधिकारी जेडीए जोन 4 जयपुर के आदेश के आधार पर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण का आद्योपान्त का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है एवं अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 386 ग्राम सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण (जोन–4) जयपुर के पत्र कमांक 2420 दिनांक 28.11.2019 की पालना में नामान्तकरण दर्ज किया गया, जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 20.01.2020 को स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 02.09.2012 द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में 90बी की कार्यवाही की गयी एवं खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर भूमि को राज्य हित में पुर्नग्रहण के आदेश किये गये। उक्त 90बी की कार्यवाही न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा खारिज की गयी जिसके पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 07.10.2019 से न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर का आदेश खारिज किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राज. के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचाराधीन होना अपीलांट ने अपील मीमो में जाहिर किया है। अपीलांट द्वारा अपील में उक्त वर्णित आदेशो की प्रति संलग्न नहीं की गयी है साथ ही प्राधिकृत अधिकारी जयपुर जोन 4 के आदेश कमांक 2420 दिनांक 28.11. 2019 की प्रति भी संलग्न नहीं की गयी जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वह वादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार से अपना हक व अधिकार रखते है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अपील अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अपने हक अधिकार के बिन्दु पर कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर